पत्र सं0–विधि–4(2)/अधि0नियम0संशोधन/2019–20/ / 165 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक– 10 जुलाई, 2019

<u>समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,</u>
<u>वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।</u>

शासनादेश संख्या–क0नि0–2–226/ग्यारह–9(121)/18–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(08)–2019 दिनांक–31 जनवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी ऑयल मार्केटिंग कम्पनी को एथेनाल के साथ ब्लेण्डिंग की प्रक्रिया में उपयोग हेतु बिक्रय किये गये पेट्रोल के व्यापारवर्त पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किये जाने पर कोई कर उद्गृहीत तथा संदत्त नहीं किया जाना प्रावधानित किया गया है। शर्त यह है कि ऐसे ब्लैन्डेड पेट्रोल पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 के अधीन पेट्रोल पर देय कर की दर से कर संदाय किया जाए।

उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा इस निमित्त फार्म–ओ0एम0सी0 निर्धारित किया जाता है। फार्म–ओ0एम0सी0 के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1. यह फार्म–ओ0एम0सी0 ऑनलाइन विभागीय बेवसाइट से डाउनलोड किया जाएगा।
2. 01 फार्म–ओ0एम0सी0 में अधिकतम 01 माह के सम्व्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है।
3. इस हेतु विभागीय बेवसाइट पर Registration for Form Downloading से Login करने के पश्चात निर्धारित Excell File में बिक्री से सम्बन्धित विवरण भरने/अंकित करने होगें जिसे अपलोड करने पर Forms OMC Generate होगा।
4. यह Forms OMC Downloading/Generate/Print करने की प्रक्रिया PPT के माध्यम से विभागीय बेवसाइट पर डीलर लॉगिन करने के पश्चात उपलब्ध रहेगी।
5. Forms OMC से सम्बन्धित Excel File Upload करने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि का परिमार्जन किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया Online Downloded Form C की भांति रहेगी।
6. डीलर द्वारा Edit की Request Upload करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी पर्याप्त सत्यापन के पश्चात Edit की Application को Approve कर सकेगें।

उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक–01.02.2019 से प्रभावी की गयी है। अतः फार्म–ओ0एम0सी0 इन इकाईयों द्वारा दिनांक–01.02.2019 से किये गये सम्व्यवहार के लिए जारी किया जायेगा।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि फार्म–ओ0एम0सी0 के प्रारूप व इसके डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ–साथ आपके जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघो, अधिवक्ता संघो, चार्टर्ड एकाउण्टेंट संघो आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

ए0प0सं0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।